

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 3

PART I—Section 3

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 01] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 15, 2015/अग्रहायण 24, 1937

No. 01] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 15, 2015/AGRAHAYANA 24, 1937

रक्षा मंत्रालय

(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2015

सं. 12(1)/14/रक्षा(पेंशन/नीति)/भाग-II.—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने एक समान रैंक और समान सेवा अवधि के साथ सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बल कार्मिकों को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख को ध्यान में न रखते हुए एक समान पेंशन का भुगतान करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक रैंक एक पेंशन (ओआरओपी) को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है, जिसका अर्थ वर्तमान और भूतपूर्व पेंशनभोगियों की पेंशन की दरों के बीच के अंतराल को आवधिक आधार पर पाटना है।

जबकि, विद्यमान पेंशन संरचना, सेवा की शर्तें, एक समान रैंक और एक समान सेवा अवधि के साथ अलग-अलग समय पर सेवानिवृत्त होने वाले सेवा कार्मिकों की पेंशनों में भिन्नता के कारणों के साथ-साथ भारत सरकार के दिनांक 7.11.2015 के पत्र सं. 12(1)/14/रक्षा(पेंशन/नीति)/भाग-II के तहत सरकार द्वारा निर्णीत ओआरओपी के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इसे सम्यक रूप से कार्यान्वित करना आवश्यक है।

अतः केन्द्रीय सरकार अब पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल. नरसिम्हा रेड्डी की अध्यक्षता में एतद्वारा एक न्यायिक समिति गठित करती है।

2. समिति को सौंपे गए कार्य होंगे:

केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित मामलों पर संदर्भ प्राप्त होने पर उनकी जांच करना और उनपर सिफारिशें करना :

- i. ओआरओपी पत्र सं. 12(1)/2014/रक्षा(पेंशन/नीति)/भाग-II दिनांक 07.11.2015 के लागू होने पर उत्पन्न होने वाली संभावित विसंगतियों को दूर करने के उपाय ।
- ii. उपर्युक्त ओआरओपी आदेश के लागू होने के कारण तीनों सेनाओं के अन्तर-सेवा संबंधी मुद्दों के मामले में सामने आने वाली संभावित विसंगतियों को दूर करने के उपाय ।
- iii. सेवा मामलों पर प्रभाव ।
- iv. एक रैंक एक पेंशन के कार्यान्वयन अथवा संबंधित मुद्दों के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा भेजा गया कोई अन्य मामला ।

अपनी सिफारिशें करते हुए समिति अपनी सिफारिशों के वित्तीय प्रभाव को ध्यान में रखेगी ।

3. समिति अपने गठन की तारीख से छह माह के भीतर अपनी सिफारिशें देगी । समिति आवश्यकता पड़ने पर उपर्युक्त पैरा 2 में उल्लिखित मामलों में से किसी एक पर अंतरिम रिपोर्टें दे सकती है ।
4. समिति अपनी स्वयं की कार्य-विधि तैयार करेगी और सूचना और ऐसे साक्ष्य जिन्हें वह आवश्यक समझे, मांग सकती है । भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग समिति द्वारा अपेक्षित ऐसी सूचना एवं दस्तावेज तथा अन्य सहायता मुहैया कराएंगे ।
5. समिति का मुख्यालय दिल्ली में होगा । सभी प्रकार की प्रशासनिक सहायता भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी ।

के. दमयंती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Ex-Servicemen Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 2015

No. 12(01)/2014-D(pen/Pol)-Part-II.— Whereas the Central Government has decided to implement One Rank One Pension (OROP) for the Ex-Servicemen for payment of uniform pension to the armed forces personnel retiring in the same rank with the same length of service, regardless of their date of retirement, which implies that bridging the gap between the rate of pension of current and past pensioners at periodic intervals.

Whereas it is necessary to implement the same in an equitable manner keeping in view the existing pension structure, the conditions of service, the reasons for varying pensions in case of service personnel of the same rank with the same length of qualifying service retiring at different points of time as well as the principle of OROP decided by the Government vide Govt. of India letter No.12(1)/2014/D(Pen/Pol)/Part-II dated 7.11.2015.

Now, therefore, the Central Government hereby appoints a Judicial Committee headed by Justice L.Narasimha Reddy, retired Chief Justice of Patna High Court.

2. The Terms of Reference for the Committee shall be:

To examine and make recommendations on references received from the Central Government on the following matters:

- i. Measures for the removal of anomalies that may arise in implementation of the OROP Letter No.12(1)/2014/D(Pen/Pol)/Part-II dated 7.11.2015.
- ii. Measures for the removal of anomalies that may arise out of inter-service issues of the three forces due to implementation of OROP order ibid.

iii. Implications on service matters.

iv. Any other matter referred by the Central Government on implementation of the OROP or related issues.

In making its recommendations, the Committee shall take into account the financial impact of its recommendations.

3. The Committee shall make its recommendations within six months of the date of its constitution. It may, if necessary, make interim reports on any of the matters mentioned in Paragraph 2 above.

4. The Committee will devise its own procedure and may call for such information and take such evidence, as may be considered necessary. Ministries and Departments of Government of India shall furnish such information and documents and other assistance, as may be required by the Committee.

5. The Committee will have its Headquarters in Delhi. All administrative support will be provided by Department of Ex-Servicemen Welfare, Ministry of Defence.

K. DAMAYANTHI, Jt. Secy.